



नीतिआयोग द्वारा सहकारी संघवाद का आह्वान

प्रलम्ब के लिये:

[नीतिआयोग](#), [प्रधानमंत्री \(पीएम\)](#), [GST परिषद](#), [समग्र शिक्षा निधि](#), [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#), [अंतरराज्यीय परिषद](#), [पंजाब का सतलुज-यमुना लकि](#), [राष्ट्रीय जल नीति](#)

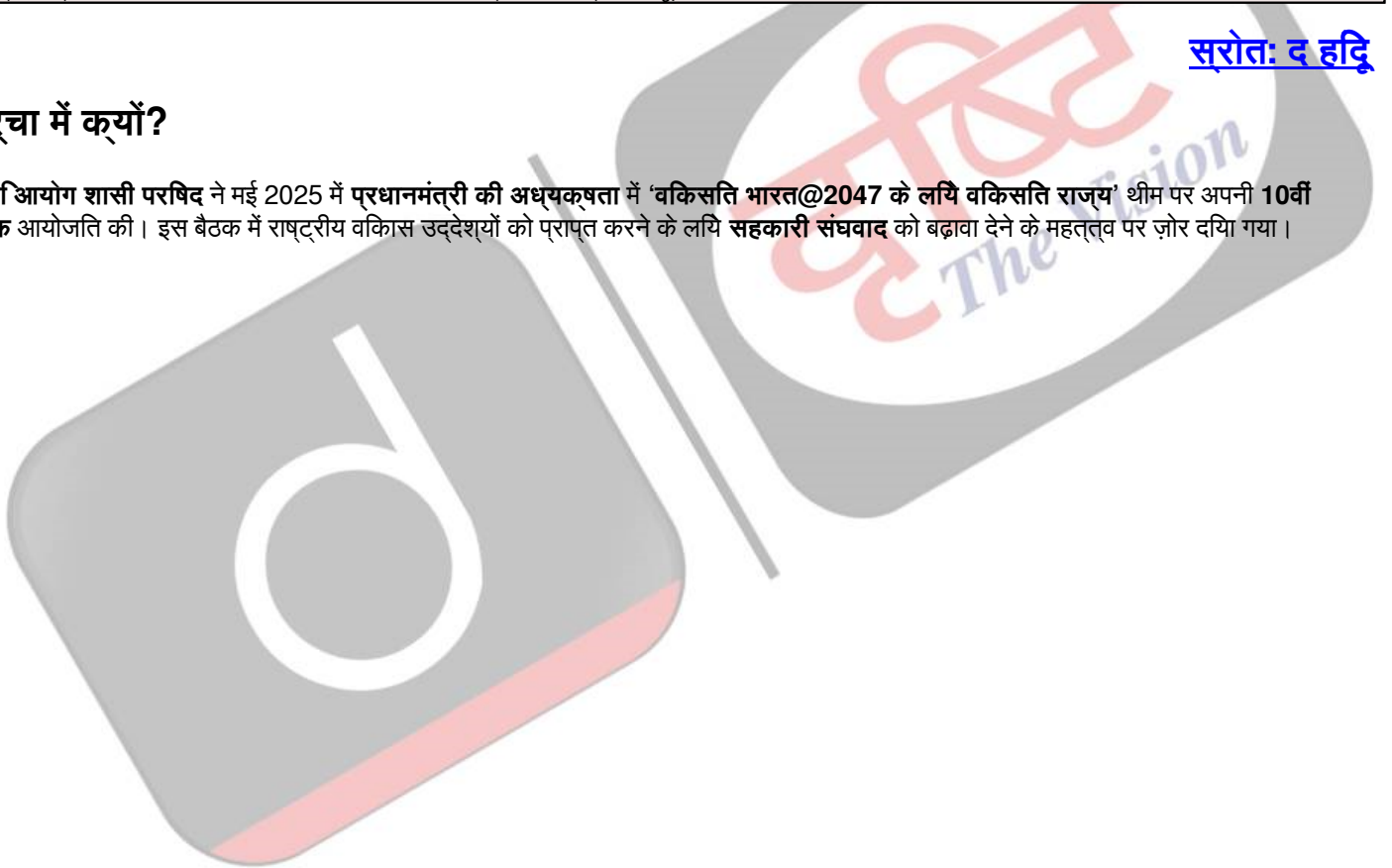
मेन्स के लिये:

केंद्र-राज्य संबंध, भारत में संघवाद, वकिसति भारत के निर्माण में राज्यों की भूमिका।

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

नीतिआयोग शासी परिषद ने मई 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'वकिसति भारत@2047 के लिये वकिसति राज्य' थीम पर अपनी 10वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।



नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना



प्रमुख पहलें

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- केवल एक सलाहकार निकाय
- निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- संगठन का राजनीतिकरण
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव

नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के प्रमुख नष्कर्ष क्या हैं?

- **राज्य-वशिष्ट मांगें:** तमलिनाडु ने केंद्रीय करों में 50% हसिसा (वर्तमान 33% के मुकाबले) और एक **स्वच्छ कावेरी मशिन** की मांग की।
 - पंजाब ने यमुना जल अधिकारों में न्यायसंगत हसिसा तथा सीमा सुरक्षा और नशा नयितरण के लिये वित्तीय सहायता की मांग की।
- **व्यापार और नविश पर बल:** राज्यों से नीतिसंबंधी अड़चनों को दूर करने, अपरासंगिक कानूनों को नरिसृत करने और नविश के अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा गया।
 - वैश्विक नविश आकर्षित करने के लिये नीतिआयोग को एक 'नविश-अनुकूल घोषणा-पत्र' तैयार करने का नरिदेश दिया गया।
- **सुरक्षा तैयारी:** प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक सुरक्षा तैयारियों और आधुनिक नागरिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
 - **ऑपरेशन सदिर** (जसिने पाकसितान में आतंकी ढाँचों को नशाना बनाया) को उपस्थिति सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का **सर्वसम्मत समर्थन** प्राप्त हुआ।
- **आर्थिक एवं औद्योगिक विकास:** छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में अपने **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** को दोगुना और **प्रति व्यक्ति आय** को 10 गुना बढ़ाने के लिये **3T मॉडल** (प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, परिवर्तन) प्रस्तुत किया।
 - आंध्र प्रदेश ने **GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI-संचालित शासन** पर **उप-समूहों** का सुझाव दिया।
- **सतत विकास और सामाजिक सुधार:** प्रधानमंत्री ने वैश्विक मानक वाले पर्यटन स्थलों (प्रत्येक राज्य में एक) और **हरति ऊर्जा/हाइड्रोजन नविश** पर ज़ोर दिया।
 - **टयिर 2/3** शहरों में **शहरी नयोजन** पर ध्यान केंद्रित करना, **साइबर सुरक्षा** में युवाओं को कुशल बनाना और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देना।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीतिआयोग की क्या भूमिका है?

- **मज़बूत प्रतिसिपर्द्धा संघवाद:** यह डेटा-संचालित सूचकांक और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)**, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक तथा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जैसे पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच **स्वस्थ प्रतिसिपर्द्धा** को बढ़ावा देता है, जसिसे क्षेत्रीय सुधार होता है।
- **उन्नत सहकारी संघवाद:** यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है तथा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।
 - उदाहरणों में सामूहिक विकास के लिये **टीम इंडिया हब** तथा मंत्रालय और साझेदारों के घनषि्ट सहयोग के माध्यम से **112 अवकिसति ज़िलों** पर ध्यान केंद्रित करने वाला **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)** शामिल है।
- **शासन एवं नीतिपरामर्श:** इसने वकिंद्रीकृत शासन दृष्टिकोण के साथ वित्तीय आवंटन से हटकर नीतिपरामर्श पर ध्यान केंद्रित किया।
 - यह बेहतर प्रशासन और नीति करयिन्वयन के लिये **राज्य परिवर्तन संस्थान (SIT)** की स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान करता है।
- **क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप:** यह उत्तर पूर्व के लिये नीतिफोरम, एसएटीएच-ई, पोषण अभियान, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक एवं शिक्षा सुधार जैसे असमानताओं को दूर करने वाली पहलों का नेतृत्व करता है।
 - नीतिआयोग गुजरात के औद्योगिक गलियारों और तमलिनाडु के कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे सफल मॉडलों को साझा करने की सुविधा प्रदान करके तथा **सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी (PPP)** मॉडल को बढ़ावा देकर वकिसति और विकासशील राज्यों के बीच की खाई को पाटने में सहायता करता है।
- **डजिटल परिवर्तन:** यह **अटल इनोवेशन मशिन** (अटल टकिरगि लैब्स और इनक्यूबेशन सेंटर सहित), नॉलेज एंड इनोवेशन हब तथा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देता है, साथ ही डजिटल भुगतान रोडमैप भी तैयार करता है।
- **नीतिआयोग अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को टयिर-2 और टयिर-3 शहरों तक वसितारित कर सकता है** (उदाहरण के लिये, पुणे के टेक पार्कों को नागपुर तक वसितारित करना) तथा उभरते राज्यों में **स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन** प्रदान कर सकता है।

सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संघीय संवाद का अभाव:** नीतिआयोग की संचालन परिषद की सीमिति बैठकें (वर्ष में केवल एक बार) और **GST परिषद** की बैठकों में देरी के कारण सामूहिक समाधान के बजाय व्यक्तिगत शकियतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जसिके परिणामस्वरूप **GST सुधार और मुआवज़ा वविाद** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत गतिरिध उत्पन्न हो रहा है।
- **संघवाद को दुर्बल करना:** केंद्र ने अनुपालन को लागू करने के लिये वित्तीय उत्तोलन का उपयोग किया है, जैसे कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** का वरिध करने के लिये तमलिनाडु के समग्र शिक्षा अभियान नधिके केंद्रीय हसिसे को रोकना। यह कार्रवाई सहकारी संघवाद की भावना को दुर्बल करती है, इसे केवल भाषण तक सीमिति कर देती है।
 - राज्यों की राष्ट्रीय योजनाओं जैसे- **पीएम-कसिन** और स्मार्ट सटिज़ में सीमिति भागीदारी है, जसिसे कारयान्वयन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **अनुचित कर हस्तांतरण:** राज्य **वित्त आयोग** के हस्तांतरण में 50% कर हसिसेदारी की मांग कर रहे हैं (जो वर्तमान में 41% है) और इसका कारण **GST** के कारण राजकोषीय स्वायत्तता का ह्रास तथा राजस्व वृद्धि की धीमी गति है।
 - समृद्ध राज्य जैसे- तमलिनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र केंद्र सरकार के कर पूल में अधिक योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें करों के वितरण में अपेक्षाकृत कम हसिसा मिलता है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड जैसे गरीब राज्य केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर रहते हैं, जसिसे राजकोषीय असमानता बढ़ती है।
- **अंतर-राज्यीय असमानताएँ:** महाराष्ट्र, गुजरात और तमलिनाडु जैसे वकिसति राज्य मज़बूत बुनयिदी ढाँचे के कारण तेज़ी से विकास करते हैं, जबकि कमज़ोर राज्य नीतिगत बाधाओं के कारण पछि जाते हैं।
 - राज्यों के बीच अपर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण के कारण गरीब क्षेत्रों से मुंबई और दलिली जैसे समृद्ध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग प्रवास करते हैं।
 - **छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा** जैसे राज्य खनजिओं और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं, लेकिन विकास के लिये अपेक्षाकृत कम वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, जसिसे उनकी विकास क्षमता सीमिति रह जाती है।

- जल एवं सीमा विवाद: कावेरी (तमलिनाडु-कर्नाटक) और यमुना (हरियाणा-दिल्ली) जैसे राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे नदी जल विवाद अब तक सुलझ नहीं पाए हैं।
 - इससे किसानों को जल की भारी कमी का सामना करना पड़ता है (जैसे- तमलिनाडु का डेल्टा क्षेत्र) और राजनीतिक तनाव बढ़ता है (जैसे- पंजाब में सतलुज-यमुना लिके नहर का वसिध)।

सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाना: नीतिआयोग एवं GST परिषद की नियमिति बैठकें सुनिश्चित करना तथा अंतर-राज्यीय परिषद को पुनः सक्रिय करना आवश्यक है, जिससे राज्यों के बीच सतत संवाद बना रहे और समय पर विवादों का समाधान हो सके।
 - इससे GST सुधार जैसे मुद्दों पर नीतिगत निष्क्रियता कम होगी और जल, सीमा व राजकोषीय मामलों में संघर्षों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।
- संसाधनों का न्यायसंगत वितरण: राज्यों को करों में अधिक हिस्सा देना और प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रणाली की शुरुआत करना। इससे पछिड़े राज्यों (जैसे- बिहार, यूपी) में सुधारों के लिये प्रोत्साहन मल्लिगा और शर्तों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।
- राज्य-दर-राज्य साझेदारी: वकिसति राज्यों को क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और प्रमुख शहरों पर प्रवासन दबाव को कम करने हेतु औद्योगिक गलियारों, कौशल विकास तथा PPP नविश के माध्यम से पछिड़े राज्यों का मार्गदर्शन करना चाहिये।
- अंतर-राज्यीय जल समन्वय को बढ़ावा देना: बाध्यकारी नदी-साझाकरण समझौतों, संयुक्त कार्य बलों और अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिये केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक राष्ट्रीय जल नीति 2.0 जल प्रबंधन एवं बुनियादी ढाँचे में सुधार करेगी।
 - इससे जल विवाद (जैसे कावेरी) कम होंगे और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, जिससे व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मल्लिगा।
- दीर्घकालिक रणनीतिक योजना: राज्य और केंद्र की योजनाओं को वकिसति भारत@2047 के लिये वकिसति राज्य के साझा दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना, मापने योग्य लक्ष्यों तथा आवधिक समीक्षाओं का उपयोग करना, नीतिआयोग द्वारा राज्य की प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए प्रगतिको सुवर्धजनक बनाना।

निष्कर्ष

नीतिआयोग की 10वीं बैठक में भारत के संघवाद में प्रगतिको और नर्रितर चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया। जबकि राज्य भागीदारी और नविश सुधार जैसी पहल आशाजनक हैं, वास्तविक "टीम इंडिया" सहयोग के लिये अधिक निष्पक्ष राजकोषीय हस्तांतरण, नियमिति संवाद तथा गैर-राजनीतिक शासन की आवश्यकता है। वर्ष 2047 तक वकिसति भारत को प्राप्त करने के लिये इन अंतरालों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत को वकिसति देश बनाने में राज्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। वकिसति भारत@2047 के लिये अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

[[[[[[

1. आपके वचिर में सहयोग, प्रतस्पर्द्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृतिको कसि हद तक आकार दिया है? अपने उत्तर को पुष्ट करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण प्रस्तुत कीजिये। (2020)
2. न्यायालयों द्वारा वधायी शक्तियों के वतरण के बारे में वविदास्पद मुद्दों के समाधान से, 'संघीय सर्वोच्चता का सविधांत' और 'सामंजस्यपूर्ण नर्रिमाण' उभर कर सामने आए हैं। व्याख्या कीजिये। (2019)